

उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1964]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 11 दिसम्बर, 1963 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 फरवरी, 1964 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 7 अप्रैल, 1964 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 15 अप्रैल, 1964 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में गोशालाओं के अपेक्षाकृत अच्छे प्रबंध तथा नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम,
प्रसार और प्रारम्भ

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति² द्वारा नियत करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं ।

2—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में —

परिभाषाएं

(1) “पशु” का तात्पर्य गाय या उसकी सम्पत्ति से है ;

(2) “निदेशक” का तात्पर्य पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत ऐसे अन्य अधिकारी भी हैं जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए नियुक्त करे ;

(3) “संघ” का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश गोशाला संघ से है तथा उक्त संघ के संगठन के पूर्व सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अधीन निबद्ध (रजिस्टर्ड) यू० पी० स्टेट फेडरेशन आफ गोशालाज और पिंजरापोल्स से है ;

ऐक्ट संख्या 21,
1860

(4) “गोशाला” का तात्पर्य ऐसी धर्मार्थ संस्था से है जो पशु रखने, उनका अभिजनन, पालन या भरण—पोषण करने के प्रयोजन के लिए अथवा दुर्बल, बूढ़े, अशक्त या

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 23 नवम्बर, 1963 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए ।

2. विज्ञप्ति सं० 5008/12-ई—12 (6)/55, दिनांक 10 सितम्बर, 1964 द्वारा सहारनपुर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा, एटा, मैनपुरी, मथुरा, बिजनौर, मुरादाबाद, बंदायू, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, इटावा तथा फर्रुखाबाद जिलों में प्रचलित किया गया तथा विज्ञप्ति सं० 6100/12-ई—12 (6)/65, दि० 8 नवम्बर, 1965 द्वारा देहरादून, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, झाँसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, फैजाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी तथा गोंडा जिलों में प्रचलित किया गया।

रोगी पशुओं को भर्ती व प्रस्तुत करने और उनका उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गयी हो ;

(5) "गौशाला की सम्पत्ति" का तात्पर्य ऐसी सम्पत्ति से है जो गौशाला के उपयोग और लाभ के लिए न्यास में निहित हो या न्यास धृत हो तथा जिसके अन्तर्गत धारा 11 के अधीन गौशाला को देय कोई धनराशि भी है और उसके अन्तर्गत गौशाला में रखे गये पशु भी है ;

(6) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(7) "निबन्धक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त गोशालाओं के निबन्धक से है ;

(8) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है ;

(9) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से है ;

(10) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ; और

(11) गौशाला के सम्बन्ध में "न्यासी" का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे समुदाय से है, भले ही वह किसी भी नाम से (Designation) से जाना जाता हो, जिसमें गोशाला या उसकी सम्पत्ति का प्रबंध निहित हो और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी जो इस प्रकार उत्तरदायी हो मानो वह न्यासी ही हो ।

3—(1) इस अधिनियम के प्रचलित होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र उत्तर प्रदेश संघ राज्य में एक संघ स्थापित किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश गोशाला संघ कहलायेगा ।

(2) संघ में गोशालाओं के न्यासियों द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचन किये गये उतने व्यक्ति होंगे जितने नियत किये जायें ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई भी व्यक्ति न्यासी न समझा जायगा यदि उसका नाम न्यासी के रूप में प्रदेश गोशाला रजिस्टर में उस दिनांक में प्रविष्ट न हो, जो राज्य सरकार इस विषय में गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे ।

4—(1) गोशाला का न्यासी, निबन्धक को एक विवरण—पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें दी होंगी —

गोशालाओं के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करने का दायित्व

(क) गोशाला का नाम और पता ;

(ख) गोशाला की स्थापना का दिनांक और उसे स्थापित करने की रीति ;

(ग) गोशाला के न्यासी का नाम और पता और यदि न्यासी व्यक्तियों का कोई समुदाय हो तो ऐसे समस्त व्यक्तियों के नाम व पते ;

(घ) न्यासी का उत्तराधिकारी होने की रीति ;

(ङ) गोशाला की सम्पत्ति का विवरण ;

(च) उस वर्ष के जिस में विवरण—पत्र प्रस्तुत किया जाय ठीक पूर्व तीन वर्षों में गोशाला की सकल वार्षिक आय, यदि कोई हो ;

(छ) उक्त आय का स्रोत ;

(ज) खण्ड (च) में अभिदिष्ट अवधि में यदि गोशाला के सम्बन्ध में कोई व्यय किया गया हो तो वह व्यय ; और

(झ) ऐसे अन्य विवरण जो नियत किये जायें ।

(2) विवरण—पत्र पर नियत रीति से हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे सत्यापित किया जायगा तथा उसके साथ निम्नलिखित होंगे —

(क) यदि कोई ऐसा लेख्य हो जिसके द्वारा गोशाला स्थापित किया गया हो तो उसकी एक प्रति ;

(ख) उस लेख्य की एक प्रति जिसमें गोशाला का प्रबंध और न्यासधारिता में उत्ताधिकार को विनियमित किया गया हो, और यदि ऐसा लेख्य उपलब्ध न हो तो ऐसा ज्ञापन जिसमें गोशाला के उद्देश्य और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने की रीति दी जाय; और

(ग) यदि गोशाला के लेखे की संपरीक्षा हो गयी हो तो लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित अन्तिम पक्के चिट्ठे (Balance sheet) की एक प्रति ।

(3) उक्त विवरण—पत्र, गोशाला की स्थापना के या संबद्ध क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से, इसमें जो भी पश्चात्पूर्वी हो, तीन मास के भीतर प्रस्तुत किया जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक लिखित कारणों द्वारा विवरण—पत्र प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ा सकता है ।

5—प्रत्येक ऐसी गोशाला का विवरण, जिसके सम्बन्ध में धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार विवरण—पत्र प्रस्तुत किया जाय, इस विषय में रखे गये एक रजिस्टर में, जिसे “प्रदेश गोशाला रजिस्टर” कहा जायेगा, दर्ज किया जायेगा और नियत प्रपत्र में एक निबन्धन प्रमाण—पत्र उक्त प्रत्येक गोशाला के सम्बन्ध में जारी किया जायेगा ।

गोशालाओं का निबन्धन

6—(1) निबन्धक नियत प्रपत्र में प्रवेश गोशाला रजिस्टर रखेगा ।

प्रदेश गोशाला रजिस्टर

(2) प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रतियां या उसके उद्धरण ऐसी शर्तों पर और ऐसी रीति से दिये जायेंगे जो नियत किये जायें ।

7—(1) धारा 5 के अधीन निबद्ध गोशाला से सम्बद्ध किसी विवरण में जब कोई परिवर्तन हो जाय, तो गोशाला का न्यासी ऐसे परिवर्तन के तीन मास के भीतर, उसकी सूचना निबन्धक को देगा ।

प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रविष्टियों का संशोधन

(2) उस सूचना पर, नियत रीति से, हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे सत्यापित किया जायगा ।

(3) निबन्धक उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने अथवा उन तथ्यों पर जिनकी ओर उसका ध्यान अन्य प्रकार से आकृष्ट हो और ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, प्रदेश गोशाला रजिस्टर की किसी प्रविष्टि में संशोधन कर सकता है ।

8—(1) निबन्धक, किसी भी समय, या तो स्वयं, या गोशाला में स्वत्व रखने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या राज्य सरकार के पशुपालन विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जो जिला पशुधन अधिकारी के पद से नीचे के पद का न हो, प्रार्थना—पत्र दिये जाने पर गोशाला के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करने के लिए नियत रीति से जांच कर सकता है —

निबन्धक द्वारा जांच

(क) न्यासी का नाम और पता, और यदि न्यासी अनेक व्यक्तियों का समुदाय हो तो उक्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पता ;

(ख) न्यासधारिता में उत्तराधिकार की रीति ;

(ग) गोशाला की सम्पत्ति का विवरण ; और

(घ) आय और व्यय तथा ऐसी आय का स्रोत ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक जाँच में निबन्धक, जाँच का एक नोटिस पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश तथा एक नोटिस प्रदेश गोशाला रजिस्टर में गोशाला के न्यासी के रूप में दर्ज व्यक्ति पर तामील करायेगा और उन्हें सुनवाई का अवसर देगा। नोटिस ऐसे अन्य व्यक्तियों पर भी तामील किया जायेगा और ऐसी रीति से प्रकाशित भी किया जायेगा जो नियत किये जायें ।

(3) इस धारा के अधीन जाँच के प्रयोजनों के लिए निबन्धक को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अधीन किसी न्यायालय में निहित होते हैं ; अर्थात्

ऐक्ट संख्या 5,
1908

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसका बयान लेना ;

(ख) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना ;

(ग) किसी साक्षी का बयान लेने या लेखे की जाँच करने के लिए कमीशन जारी करना ; और

(घ) ऐसी अन्तरिम आज्ञायें देना जो न्याय की दृष्टि से आवश्यक हों ।

(4) जाँच की समाप्ति पर निबन्धक जाँच से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे और इस प्रकार दी गयी आज्ञा जब तक सक्षम क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय द्वारा समाप्त न कर दी जाय, अन्तिम तथा बन्धनकारी होगी ।

9—(1) इस अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय को पूरा करने के प्रयोजन के लिए, धारा 5 के अधीन निबद्ध प्रत्येक गोशाला का न्यासी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, निबन्धक को, पिछले वित्तीय वर्ष में गोशाला की सकल आय के 5 प्रतिशत से अनधिक ऐसा शुल्क देगा जो निबन्धक संघ के परामर्श से और राज्य सरकार की स्वीकृति से निश्चित करे ।

शुल्क जो प्रत्येक
गोशाला के न्यासी
द्वारा दिया जायेगा

(2) उक्त शुल्क ऐसी रीति से और ऐसे दिनांक या दिनांको को देय होगा जो निबन्धक समय-समय पर निश्चित करे ।

(3) शुल्क के रूप में होने वाली सभी प्राप्तियां एक निधि में जमा की जायेगी जो प्रदेश गोशाला निधि कहलायेगी ।

10—(1) धारा 5 के अधीन निबद्ध गोशाला का न्यासी, गोशाला को सभी परिसम्पत्तियों और दायित्वों तथा प्राप्तियों और व्यय का नियमित रूप से लेखा जोखा रखेगा ।

लेखे रखना और
उनकी संपरीक्षा

(2) उक्त लेखा ऐसे प्रपत्र में होगा और उसमें ऐसे विवरण दिये रहेंगे जो नियत किये जायें ।

(3) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की समाप्ति पर लेखे की रोकड़ बाकी निकाली जायेगी और प्रतिवर्ष उसकी वार्षिक जाँच तथा संपरीक्षा ऐसे व्यक्ति द्वारा तथा ऐसी रीति से की जायेगी जो नियत की जाय ।

(4) उपधारा (3) के अधीन लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए प्रत्येक लेखा परीक्षक, गोशाला से सम्बद्ध सभी ऐसे लेखों, पुस्तिकाओं, बीजकों और लेख्यों को देख सकेगा जो गोशाला के न्यासी के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन हो ।

(5) उस दिनांक से, जब लेखों की रोकड़ बाकी निकाली जाय तीन मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो निबन्धक लेखबद्ध कारणों द्वारा प्रदान करे, प्रत्येक गोशाला का न्यासी निबन्धक को लेखे का एक विवरणपत्र प्रस्तुत करेगा जो ऐसे प्रपत्र में होगा तथा उसमें ऐसे विवरण दिये जायेंगे जो नियत किये जायें ।

11—(1) संघ, निदेशक से उस क्षेत्र के सम्बन्ध में सिफारिश करेगा जिसमें कोई गोशाला या गोशालायें कार्य करेंगी, और निदेशक या तो उस सिफारिश को स्वीकार कर लेगा और तदनुसार क्षेत्र निश्चित कर देगा अथवा उस मामले को राज्य सरकार को अभिदिष्ट करेगा और उसके निर्णय के अनुसार क्षेत्र निश्चित कर देगा ।

गोशाला का क्षेत्र और व्यवसायियों तथा व्यापारियों के दायित्व

(2) कोई व्यापारी या व्यवसायी अपने ग्राहकों से अपने कारोबार-स्थल के क्षेत्र की गोशाला या गोशालाओं, यदि एक से अधिक हों, से भिन्न किसी अन्य गोशाला के लाभार्थ कोई परिव्यय या दान प्राप्त अथवा वसूल नहीं करेगा ।

(3) प्रत्येक व्यापारी या व्यवसायी अपने ग्राहकों से —

(क) गोशाला या गोशालाओं के लाभार्थ किसी परिव्यय या दान के रूप में प्राप्त अथवा वसूली की गयी धनराशि का पूरा, और

(ख) "धर्मादा" या "पुण्यखाता" जैसे अनिर्दिष्ट धर्मार्थ प्रयोजन के लाभार्थ किसी परिव्यय या दान के रूप में प्राप्त अथवा वसूल की गयी धनराशि का आधा ; ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, उस क्षेत्र में कार्य करने वाली गोशालाओं के न्यासधारियों को भुगतान करेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि भुगतान करने के पूर्व अपने द्वारा इस उपधारा के अधीन देय धनराशि में से वह बीस से अनधिक उस प्रतिशत के हिसाब से, जो नियत की जाय, वसूली व्यय काट लेगा ।

स्पष्टीकरण— जब किसी क्षेत्र में एक से अधिक गोशालायें कार्य कर रही हों तो निदेशक उनमें वितरित की जाने वाली प्राप्तियों तथा वसूलियों के अनुपातों को निश्चित करेगा ।

12—धारा 11 की उपधारा (3) में उल्लिखित प्राप्तियाँ तथा वसूलियाँ करने वाला प्रत्येक व्यापारी या व्यवसायी कम से कम छः मास के ऐसे अन्तरालों पर जो नियत किए जायें, जिला पशुधन अधिकारी या राज्य सरकार के ऐसे राजपत्रित अधिकारी को जो नियत किया जाय, नियत प्रपत्र में विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें वह अपने द्वारा की गई प्राप्तियों तथा वसूलियों का लेखा देगा ।

व्यापारियों और व्यवसायियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत की जायेंगी

13—(1) न्यासी के प्रार्थना-पत्र पर या अन्य प्रकार से सूचना प्राप्त होने पर निबन्धक यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवसायी या व्यापारी ने गोशाला के न्यासी को देय धनराशि का भुगतान कर दिया है अथवा नहीं किसी भी व्यवसायी या व्यापारी की लेखा पुस्तिकाओं को मंगा सकता है किन्तु ऐसी लेखा पुस्तिकाओं का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति न दी जायेगी ।

निरीक्षण के लिए लेखा पुस्तिकाओं का मंगाया जाना

(2) निबन्धक किसी विशेष मामले में उपधारा (1) के अधीन अपना अधिकार उस अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है जिससे व्यापारी या व्यवसायी ने धारा 12 के अधीन विवरणी प्रस्तुत की हो ।

14-पशुपालन विभाग का कोई अधिकारी जो जिला पशुधन अधिकारी के पद से नीचे के पद का न हो, या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ यथाविधि अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, किसी गोशाला या गोशाला से सम्बद्ध किसी स्थान में अपना यह समाधान करने के लिए प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है कि इस अधिनियम और नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों का यथाविधि पालन किया जा रहा है या नहीं ।

गोशाला का
निरीक्षण

15-कोई व्यक्ति किसी ऐसी गोशाला के लिए न तो कोई धनराशि एकत्र करेगा और न कोई चन्दा स्वीकार करेगा जो इस अधिनियम के अधीन निबद्ध न हो ।

अनिबद्ध गोशाला
के लिए चन्दा
एकत्र करने पर
रोक

16-(1) यदि किसी गोशाला का न्यासी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित कोई विवरणी, प्रतिवेदन या सूचना तदर्थ नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं करता या ऐसी विवरणों, प्रतिवेदन या सूचना प्रस्तुत करता है जिसके बारे में वह जानता है या जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि सारवान विवरण की दृष्टि से वह मिथ्या है तो वह दोष सिद्ध होने पर एक हजार रूपए से अनधिक अर्थ-दण्ड का भागी होगा ।

शास्तियां

(2) यदि कोई व्यवसायी या व्यापारी धारा 11 और तदर्थ बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार धनराशि का भुगतान नहीं करता या धारा 12 के अधीन नियत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं करता तो वह दोषी सिद्ध होने पर पाँच सौ रूपए से अनधिक अर्थ-दण्ड का भागी होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के या तदन्तर्गत बनाए गए किसी नियम, विनियम या दिए गए आदेश के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करे तो वह दोषी सिद्ध होने पर तीन सौ रूपए से अनधिक अर्थ-दण्ड का भागी होगा ।

(4) न्यायालय, उपर्युक्त किन्हीं उप धाराओं के अधीन दंडाज्ञा देते समय उस अवधि को निर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर इस प्रकार सिद्ध-दोष उहाराया गया व्यक्ति इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाए गए नियम, विनियम या दिए गए आदेश के संगत उपबन्ध का पालन करेगा और ऐसा अतिरिक्त अर्थ-दण्ड भी आरोपित करेगा जो निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें चूक जारी रहें, पचीस रूपए से अधिक न होगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति न्यायालय का यह समाधान कर दे कि ऐसे उचित कारण विद्यमान थे कि वह उस उक्त अवधि के भीतर न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर सकता तो न्यायालय आदेश के अनुपालन के निमित्त उक्त अवधि को बढ़ा सकता है और अतिरिक्त अर्थ-दण्ड में पूरी-पूरी या आंशिक छूट भी दे सकता है ।

17-(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त कम्पनी का प्रभारी, तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, अपराध करने के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा ;

कम्पनियों द्वारा
किए गये अपराध

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरत ली थी तो इस उपधारा की किसी बात से वह किसी दण्ड का भागी नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है अथवा अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (Association) भी है, और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है ।

18—(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई अपराध संज्ञान अभियोजन तब तक संस्थित न किया जायगा जब तक कि निबन्धक परिवाद न करे ।

(2) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, ऐसे किसी अपराध पर विचार न करेगा ।

19—इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गए किसी नियम, विनियम या दिए गए किसी आदेश के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किए गए अथवा किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी ।

20—(1) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को नियम कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) संघ का संघटन और पुनः संघटन ;

(ख) धारा 4 के अधीन विवरण—पत्र में दिए जाने वाले विवरण और ऐसे विवरण—पत्र पर हस्ताक्षर तथा उसे सत्यापित करने की रीति ;

(ग) गोशाला को जारी किए जाने वाले निबन्धन प्रमाण—पत्र का प्रपत्र ;

(घ) प्रदेश गोशाला रजिस्टर का प्रपत्र ;

(ङ) शर्तें जिन पर और रीति जिसके अनुसार प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रतियां या उद्धरण प्रस्तुत किए जायेंगे ;

(च) अधिकारी जिन्हें और अन्तराल जिन पर प्रदेश गोशाला रजिस्टर की प्रतियां या उद्धरण प्रस्तुत किए जायेंगे ;

(छ) धारा 7 के अधीन प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने और उसे सत्यापित करने की रीति;

(ज) धारा 8 के अधीन जाँच करने की रीति ;

(झ) व्यक्ति, जिन पर ऐसी जाँच का नोटिस तामील किया जायगा और ऐसे नोटिस को प्रकाशित करने की रीति ;

(ञ) गोशाला के न्यासी द्वारा रक्खे जाने वाले लेखों का प्रपत्र और उनमें दिये जाने वाले विवरण ;

(ट) प्रदेश गोशाला निधि के लेखों की व्यवस्था करना और उन्हें रखना ;

(ठ) धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले लेख का विवरण—पत्र का प्रपत्र और उसमें दिए जाने वाले विवरण ;

(ड) अन्तराल जिन पर और रीति जिसके अनुसार व्यापारी या व्यवसायी गोशालाओं के न्यासियों को धनराशि देगा ;

(ढ) वसूली व्यय के रूप में व्यवसायी या व्यापारी द्वारा काटी जाने वाली प्रतिशत ;

(ण) अन्तराल जिन पर और प्रपत्र जिसमें तथा अधिकारी जिसे धारा 12 के अधीन विवरणी प्रस्तुत की जाय ;

(त) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(थ) इस अधिनियम के अधीन नोटिसों और आदेशों को तामील करने की रीति ; और

(द) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाना हो या नियत किया जाय ।

(3) इस धारा के अधीन नियम बनाने का अधिकार इस शर्त के अधीन होगा कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाया जाय ।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल 14 दिन की अवधि पर्यन्त रक्खे जायेंगे, और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

21— निदेशक, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या नियमों से असंगत न हो :—

(1) गोशाला में अभिजनन के लिए कुशल प्राविधिक प्रबन्ध की व्यवस्था और उसका पर्यवेक्षण ;

(2) गोशाला में अभिजनन को उसके अन्य कार्यकलापों से पृथक् करना और ऐसे कार्य का नगर क्षेत्रों से ग्राम क्षेत्रों में संक्रामित करना ;

(3) सांडों का अभिजनन के प्रयोजनों के लिए गोशाला से किसी अन्य स्थान को भेजना ;

(4) गोशाला में अभिजनन से सम्बद्ध अभिलेखों का रखना और उनका प्रबन्ध करना ;

(5) अभिजनन के प्रयोजनों के लिए नर और मादा दोनों पशुओं को अलग रखना ; और

(6) गोशाला में पशु की चिकित्सा और निरीक्षण ।

22— इस अधिनियम के अधीन निबद्ध गोशाला पर चैरिटेबिल ऐंड रिलीजियस ट्रस्ट ऐक्ट, 1920 के उपबन्ध लागू न होंगे ।

1920 का ऐक्ट
संख्या 14 गोशाला
पर लागू न होगा